न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 11/2019 **दायर दिनांकः 22/08/2019**

उनवान

1. भगवान मीणा आयु 20 वर्ष पुत्र गीताराम जाति मीणा निवासी बैरपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थितिः—

प्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी।

अप्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 07/01/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाकेया ग्राम एवं माल बैरपुर तहसील अटरू जिला बारां में आराजी खाता संख्या 12 का ख0न0 30 का रकबा 0.94 है0, ख0न0 47 का रकबा 1.20 है0, ख0न0 188 का रकबा 0.12 है0, ख0न0 247 का रकबा 0.46 है0, कुल किता 4 का कुल रकबा 2.72 है0 आराजी प्रार्थी के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही हैं जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 3/8 खाता दर्ज चली आ रही हैं। उक्त आराजी प्रार्थी को विरासत में मिली थी जो उसके पिता के स्वर्गवास के पश्चात् उसके खाते दर्ज हुयी हैं। नकल जमाबन्दी खाता संख्या 12 सम्व[illegible] से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। प्रार्थी को अप[illegible] में भगवान [illegible] व टींकू दोंनों नामों से जानते हैं। प्रार्थी का गांव में बोलता नाम टींकू हैं ए[illegible]जात व आधार का[illegible]न कार्ड में प्रार्थी का नाम भगवान मीणा हैं। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात् नामान्तरण खोलते समय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 13:04:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में सहवन से प्रार्थी के असल नाम भगवान मीणा की जगह जमाबन्दी में प्रार्थी का बोलता नाम टींकू दर्ज हो गया हैं क्योंकि उस समय प्रार्थी नाबालिग अवस्था में था। जिसे दुरूस्त करवाकर प्रार्थी जमाबन्दी में भी अपना नाम दुरूस्त करवाकर टींकू पुत्र गीताराम की जगह भगवान मीणा पुत्र गीताराम मीणा करवाना चाहता हैं। नकल मार्कशीट 10 वीं, टी0सी0, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्कूल प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में सहवन से प्रार्थी का नाम भगवान मीणा पुत्र गीताराम मीणा की जगह टींकू पुत्र गीताराम हो जाने को शुद्ध करवाने हेतु अप्रार्थी के पास गया तो अप्रार्थी ने श्रीमान की अदालत में नाम शुद्धी हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत दी। इस कारण माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा हैं। विवादित आराजी व प्रार्थी ग्राम एवं माल बैरपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार एव क्षैत्राधिकार प्राप्त हैं। जो माननीय न्यायालय के श्रवण योग्य हैं। रीमान तहसीलदार साहब भूमिधारी होने से एवं राजस्व रिकॉर्ड अधिकारी होने से एवं प्रार्थना पत्र नाम दुरूस्ती का होने से उनके विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं जिन्हें प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी बनाया गया हैं। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य उचित न्यायशुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में प्रार्थी का नाम भगवान मीणा पुत्र गीताराम मीणा की जगह सहवन से टींकू पुत्र गीताराम दर्ज हो गया हैं, इसे दुरूस्त कर भगवान मीणा पुत्र गीताराम मीणा दर्ज किये जाने के आदेश प्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने प[illegible] प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

साक्ष्यवादी के तहत् PW[illegible] व PW[illegible] के [illegible] पत्र पेश किये गये, तथा रिकार्ड EXP करवाया गया। अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि आराजी खाता संख्या 12 कुल किता 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 13:04.46 IST
Reason: SelfAttested

का कुल रकबा 2.72 है0 शामलाती खाते में टींकू पुत्र गीताराम दर्ज है। रिकार्ड अनुसार भगवान मीणा पुत्र गीताराम खाते में दर्ज किया जावें। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत दस्तावेज राज0 उच्च प्राथ0 वि0 बैरपुर दिनांक 30.08.2011 का अध्ययन का प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम भगवान मीणा, मूल निवासी प्रमाण पत्र दिनांक 23.04.2006, राशन कार्ड, आधार कार्ड, माध्यमिक परीक्षा 2017, में प्रार्थी का नाम भगवान दर्ज है। ग्राम पंचायत मूण्डला बिसोती द्वारा प्रमाण पत्र 6.08.2019 में भी टिंकू उर्फ भगवान पुत्र गीताराम एक ही व्यक्ति बताया है। रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी खाता संख्या 12 कुल किता 4 का कुल रकबा 2.72 है0 शामलाती खाते में टिंकू ना0बा0 पुत्र गीताराम के स्थान पर भगवान मीणा पुत्र गीताराम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 13:04:46 IST
Reason: SelfAttested